न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला

मि0नं0 13.05.2023

146 / 2022

उनवान

1– रामलाल आत्मज भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से -- श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से-- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 141 की खसरा नम्बर 429, 435, 438, 488 कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादी के पिता का नाम भवरया दर्ज है जमावन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम भवरया दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम भंवरलाल है। जिससे वादी को निर्माणाधीन एबरा नोनेरा डेम की मुआवजा राशि प्राप्त करने में समस्या आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी के पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि में वादी के पिता का नाम भंवरलाल है। वादी के पिता का नाम ग्राम बगावदा की जमावन्दी में भवरया दर्ज होने होने से एबरा नोनेरा डेम की मुआवजा राशि प्राप्त करने में समस्या आ रही है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 141 की खसरा नम्बर 429, 435, 438, 488, कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम भवरया

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

स्थान पर भंवरलाल दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जरिये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में भवरया एवं भंवरलाल एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खातें में खाता संख्या 141 की खसरा नम्बर 429, 435, 438, 488 कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भवरया के स्थान पर भंवरलाल दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद मे सुनाया गया।